(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 34/2023

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

अतीक उर्फ मोचा उम्र 26वर्ष पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान निवासी तालाबपाडा, बारां जिला बारॉं (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 20.10.2023

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल अतीक उर्फ मोचा पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान निवासी तालाबपाडा, बारां जिला बारॉ के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉं ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारॉं क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल आदतन अपराधी है एवं लड़ाई–झगड़ा करने व जुआ सट्टा खेलने व खिलाने तथा अवैध हथियार रखने का आदी है। इसके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2002 से वर्ष 2010 मे कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(06) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुए है। जिनमें से कुल 04 प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 04 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत [illegible] को दिनांक 20.09.2010 को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां में प्रकरण संख्या 38/2010 पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहुत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित हो उपस्थिति दी गई। प्रकरण में गैरसायल के अभिभाषक को कई बार अवसर दिए जाने उपरांत भी [illegible] नहीं करने पर गैरसायल का जवाब बंद किया जाकर प्रकरण में साक्ष्य सरकार पी.डब्ल्यू.1 श्री सुरेन्द्र दानोदिया एवं पी.डब्ल्यू.2 श्री छीत[illegible] एवं पी.डब्ल्यू.3 श्री तरूणकांत सोमानी को तलब किया जाकर बयान लेखबद्ध किए गए। प्रकरण न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा दिनांक 22.09.2023 को न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां में अंतरित किया गया, जो इस न्यायालय में 13.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में गैरसायल के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2002 से वर्ष 2010 मे कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(06) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुए है। जिनमें से कुल 04 प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही गुण्डा एक्ट की परिधि में नहीं आता है। अभियोजन अधिकारी की ओर से मात्र नकलें पेश की गई है जिनकी ताइद मौखिक साक्ष्य द्वारा नहीं हुई है। इस कारण साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उपरोक्त दस्तावेजों को न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकता है। गैरसायल को सफाई साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः निवेदन है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2002 से वर्ष 2010 मे कुल 07 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(06) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुए है। जिनमें से कुल 04 प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि अतीक उर्फ मोचा पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान निवासी तालाबपाडा, बारां जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल अतीक उर्फ मोचा पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान निवासी तालाबपाडा, बारां जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, अन्ता जिला बाराँ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल अतीक उर्फ मोचा पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान निवासी तालाबपाडा, बारां जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारॉ से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, अंता जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 05.11.2023 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अंता जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अंता जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ